भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 3091
गुरुवार, 18 दिसम्बर, 2025/27 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

एयरलाइन सुरक्षा प्रक्रियाओं का उल्लंघन

3091. श्री अबू ताहेर खानः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले वर्ष के दौरान एयरलाइन संचालकों द्वारा सुरक्षा प्रक्रियाओं के उल्लंघन के मामलों की संख्या कितनी है;

(ख) पिछले वर्ष के दौरान उड़ान के दौरान इंजन की खराबी की रिपोर्ट किए गए मामलों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) यात्रियों की सुरक्षा प्रक्रियाओं का निरंतर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) पिछले वर्ष के दौरान संचालकों द्वारा सुरक्षा प्रक्रियाओं के उल्लंघन के कारण यात्रियों या उनके परिवारों को लंबित और भुगतान किए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क): वर्ष 2024 के दौरान रिपोर्ट किए गए अनुसूचित भारतीय एयरलाइनों द्वारा सुरक्षा उल्लंघनों की संख्या 22 है।

(ख): वर्ष 2024 के दौरान रिपोर्ट किए गए अनुसूचित भारतीय एयरलाइनों के इन-फ्लाइट इंजन शटडाउन घटनाओं की संख्या 21 है। इनके कारण का पता लगाने और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सभी घटनाओं की जांच की जाती है।

(ग): नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने विमान के सुरक्षित प्रचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए वृहत नागर विमानन विनियम स्थापित किए हैं। इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ) और यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा एजेंसी (ईएएसए) सहित अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ लगातार अद्यतन और श्रेणीबद्ध किया जाता है।

इसके अलावा, डीजीसीए का एक संरचित निगरानी और ऑडिट फ्रेमवर्क है अर्थात संगठन/विमान की नियोजित और अनियोजित निगरानी, जिसमें सभी प्रचालकों के संबंध में नियमित और आवधिक संपरीक्षा, स्पॉट चेक, रात्री निगरानी और रैंप निरीक्षण शामिल हैं, जिसमें रखरखाव प्रथाओं की निरंतर निगरानी शामिल है। यदि उल्लंघन होता है तो डीजीसीए अपनी प्रवर्तन नीति और प्रक्रिया नियमावली के अनुसार प्रवर्तन कार्रवाई करता है।

(घ) : हवाई दुर्घटना/घटना के कारण यात्री की मृत्यु या शारीरिक चोट के मामले में यात्रियों या परिजनों को क्षतिपूर्ति का भुगतान, विमान वहन अधिनियम, 1972 के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। क्षतिपूर्ति के भुगतान की देयता एयरलाइन (वाहक) की है।

*****